



## जनजातियों के आर्थिक-सामाजिक विकास में गोंडराजा का योगदान

**Dr. Shrikant Upadhyay**

Associate Professor

Department of Sociology

Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Nagpur, M.S

### सारांश:

इ.स १९५२ में चाँदागड के राजपरीवार में पैदाहुवे राजकुमार बिरशहाजी अत्यंत संपन्न एंव विद्यवतापूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति है। इनका भाग्योदय इ.स १९५३ में अंधकारमय हुआ। इनके पिता गोंडराजा कृष्णशहा एंव मातजी रानी राजेश्वरी तथा इनकी बड़ी बहन कुंवर राजकुमारी और छोटे भाई इनका कॉलरा महामारी से चाँदागड राजमहल में देहांत हो गया पुरा परीवार स्वर्गवासी होने से वे बचपन में उम्र ३-४ साल के दरम्यान अनाथ हो गये, परंतु इनके बड़े पिता राजा दिनकरशहा के बड़े पुत्र राजकुमार यादवशहा दिनकरशहा आत्राम इन्होंने इनकी परवरिश की परंतु वह जो दौर था की, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हर रियासत प्रयत्नशील थी।

इससे चाँदागड राजपरीवार में आर्थिक विपन्नता आयी। यादवशहाजी ने चाँदागड के ब्रिटीश कलेक्टर से सहाय्यता लेकर राजकुमार बिरशहाजी को उच्चशिक्षा प्राप्ति हेतु केरल भेज दिया गया। इ.स १९८० में राजकुमार बिरशहाजी की उच्चव्यथा विभूषित होकर चाँदागड लौट आये परंतु राजपाट संभालते यादवशहाजी आत्राम बड़े भाई गंभीर बिमारी से घिरगये। कोई व्यवस्था महल में नहीं थी। नाममात्र काही खंडहर महल रह गया था।

### प्रस्तावना:

थकहार कर यादवशहाजीने राजकुमार बिरशहाजी को कही नौकरी धुंडने को कहा परंतु वे स्वाभिमानी थे। उन्होंने

CORRESPONDING AUTHOR:	REVIEW ARTICLE
<p><b>Dr. Shrikant Upadhyay</b> Associate Professor Department of Sociology Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Nagpur, M.S Email: Shrikant33Upadhyay@gmail.com</p>	

नौकरी के बजाय अंध, अपंग, महारोगी ऐसे लोगों की सेवा करने का निश्चय करके उनके राजपरीवार की दाईमा शारदादेवी से मुलाखत नगिनाबाग मुहल्ले में जाकर की और सलाह ली। उन्होंने चंद्रपुर-नागपुर जानेवाले राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित वरोरा ग्राम के महारोगी सेवा समीती के सर्वेसर्वा बाबा आमटे की मुलाखत ली। उन्होंने राजकुंवर डॉ. बिरशहाजी की करूनगाथा सुनकर उन्हें कुछ वक्त महारोगी मार्गदर्शन केंद्र का मुखिया बनाया। इ.स १९८४ में राजकुमार डॉ. बिरशहाजीने ने अपनी खुदकी शैक्षणिक संस्था रजिस्टर्ड की, जो चॅरीटेबल कार्य करती है। 'अगापे चॅरीटेबल ट्रस्ट' इसके तहत उन्होंने आदिवासी, दलित, शोषित समाज के लिए १९८० में अंग्रेजी भाषिक स्कुल शुरू किया। स्व.दादासाहाब देवतले-केंद्रीय मंत्री इन्होंने इसमें सहाय्यता की थी।

इस प्रकारसे राजकुंवर डॉ. बिरशहाजी ने इ.स १९८० से सामाजिक दुर्बल घटकोंके सेवा का कार्य शुरू किया। इ.स १९९२ में उनके बड़े भाई यादवशहा राजे आत्राम उन्होंने आदेश दिया की हमेशा राजनिती के साथ गोंडी धर्म राजकुमार डॉ.बिरशहा ने आदेश का पालन कर दियागड से लेकर मानिकगड और गढामंडला से लेकर भोरंमगड तक पुरे गोंडवन विभाग में गोंडीधर्म का प्रचार-प्रसार किया। वें सिर्फ इतना ही करके शांत नहीं बैठे आदिवासी और गैरआदिवासी किसानों के खेतीके उत्थान हेतू ग्राम-ग्राम जाकर खेती के प्रगती में कैसे आगे जाये और किसानों को कैसे फायदा हो इस हेतूसे कृषी जागरण का कार्य शुरू किया

### संशोधनके उद्देशः

1. जनजातियों के आर्थिक-सामाजिक विकास में गोंडराजा का योगदान को समझना।
2. जनजातियों के आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन।

### विश्लेषनः

इ.स १९८२ से पानाबरस के गोंडराजा स्व. लालशामशाह मडावी (विद्यायक) से जुड गये। लालशामशाह के मृत्यूपरांत वे कंगला मांझी बस्तर कांकेर हिरासिंह देव की धर्मपत्नी के किसान सेना के इ.स १९९१ में संपर्क में आये। बडी बहन के रूपमें फुलवादेवी हिरासिंह देव कांगे कंगला मांझी किसान समाजवाद संघटन नई दिल्ली तथा बघमार डौंडीलोहारा को मान लिया। श्रीमती फुलवादेवी कांगे बघमार इन्होंने गोंडराजा डॉ. बिरशहाजी को अपना छोटा भाई मानकर राखी के त्यौहार पर राखी बंधाई। तबसे वे साथ में किसानों के लिये कार्य करते रहे। उनकी इन सामाजिक तथा

धार्मिक कार्योंका अवलोकन करके तथा इनकी राजपरीवार की पार्श्वभूमी देखते हुवे इनका चाँदागड के गोंडराजगद्दी का वारीस करके गोंड राजा पदवी समारंभ वरोरा शहर मे इ.स १४ डिसेंबर १९९१ को हुवा। प्रचार प्रसार का कार्य करते रहना और गोंड और परधानो मे जो वैमन्स्यता है उसे कम करने की कोशिश करना ।

मान. गोंडराजा फतेहलाल सयाम पलसगड गडचिरोली, गोंडराजा विश्वेश्वरराव धर्मराव आत्राम अहेरी जमिनदारी गडचिरोली, चाँदा के जिल्हाधिकारी, वरोडा के उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, श्रीमती फुलवादेवी कांगे कंगला मांझी, राजकुंवर दिनकरशहा यादवशहा आत्राम , देवशहाराजे आत्राम (विद्यायक) आंध्रप्रदेश , हिरासिंह मरकाम - विद्यायक तथा अध्यक्ष गोंडवाना गनतंत्र पार्टी बिलासपूर , शितल मरकाम - सेनापती गोंडवाना मुक्ती सेना नागपूर , विनायकराव उईके न्यायाधिश नैनपूर मंडला, उद्योगपती काशिनाथ आमलेजी ब्रम्हपूरी, मोतीराम कंगाली साहीत्यचार्य नागपूर तथा समस्त गोंड और आदिवासी समाज तथा हजारों के जनसमुह के सामने राजकुंवर डॉ. बिरशहाजी कृष्णशहा आत्राम को चाँदागड (चंद्रपूर) के गोंडराजा के रूप मे दिक्षा हनुमंतराव कुसराम (धर्मगुरू) और चाँदागड के गोंडराजा के दिवाण स्व.लिंबाजी राजगडकर तथा गोंडीधर्म प्रचारक कुंडलिक सालोरकर के व्दारा राजसिंहासन पर बिठाकर गोंडीमंत्रोपचार व्दारा विधीवत राजदिक्षा संपन्न की गोंडी समाज व्दारा राजकुंवर डॉ. बिरशहाजी आत्राम राजाधिराज - चाँदागड के गोंडराजा के तौर पर सन्मानपत्र देकर घोषित किया गया ।

१ जनवरी १९९२ मे जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर महाराष्ट्र शासन व्दारा गोंडराजा के पद पर डॉ. बिरशहाजी आत्राम को प्रतिष्ठित किये जाने पर शासकीय सन्मानपत्र अतिरीक्त जिल्हाधिकारी खंडाते व्दारा दिया गया । इ.स २००४ मे महाराष्ट्र के राज्यपाल मोहम्मद फजल व्दारा गोंडराजा डॉ. बिरशहाजी आत्राम को “आदिवासी सेवक” यह शासकिय सन्मान देकर सन्मानपत्र से नवाजा गया। राजासाहाब की अपनी संस्था अगापे चॅरीटेबल ट्रस्ट के कार्य का मुल्यांकन करके महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री आर.आर पाटील के शुभकरकमलो व्दारा मुंबई मे सन्मानपत्र और संस्था को आदिवासी सेवा संस्था के रूप मे अवार्ड और राशी देकर सन्मानित किया गया । २०१९ मे इस सन्मान के राज्यरोहन की ३०वीं वर्षागाँठ है और राजासाहाब ७० सालके हुवे है इसलिए यह सन्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमारे भारत वर्ष के मध्य पद्रेश, छत्तिसगड , उडीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक मे अपने धर्म और सामाजिक कार्य से प्रसिध्द गोंडराजा डॉ. बिरशहाजी आत्राम चाँदा राज्य मे पहला राजा है जो समाज प्रिय और शासन व्दारा

सन्मानित प्रतिष्ठित राजा है। इनकी और बहोतसी खुबीयाँ है जिसे हम ' फर्जद-ए-गोंडवाना' इस हिस्टोरीकल बायोग्राफी के २ खंड किताबोमे पढ सकते ।

### निष्कर्ष:

इस गोंडी धर्म संसद के अधिकारी की परीक्षा होती है तभी संसद इस अधिकार पर उपयुक्त और समझदार राजा को ही मान्यता देती है अन्य हो नहीं यह पद विश्व में गरिमा में होने से इस पद पर आसनस्थ होने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत तथा सामाजिक और अतिथियों की छानबीन करके ही चुनाव किया जाता है। भारत में गोंड गणों के कई जमींदार और राजा है परंतु इन सभी इस के योग्य हो ऐसा नहीं होता किसी भी संस्थान का एक योग्य व्यक्ति ही राजा या न्यायाधीश हो सकता है। अखिल भारतीय गोंडी धर्म संसद के सांसदों द्वारा ही ऐसे राज परिवार के राजा को न्यायाधीश बनाया जाता है जो उस पद के लायक हो उसे गोंडी धर्म अधिकारी पद से भी नवाजा जाता है। गोंड गण समाज और उनके 47 उपशाखाओं के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद द्वारा गोंड समाज कानून समिति द्वारा तैयार होकर संसद में पारित किया जाता है। बिना संसद के अधिकार के सिवाय गोंड गण समूह के व्यक्ति स्वतंत्र सामाजिक कानून नहीं बना सकते। अगर कोई संघटना या व्यक्ति जो गोंड है वह ऐसी हिमाकत करता है।

### संदर्भ:

- १) डॉ. तेगमपुरे मारोती : "आदिवासी विकास आणी वास्तव" चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद, (२००९)
- २) प्रा. गौतम निकम : "मूलनिवासींचे खच्चीकरण" विमलकिर्ती प्रकाशन, चाळीसगाव, (२०११)
- ३) डॉ. सौ. देवगांवकर शैलजा, डॉ. देवगांवकर एस. जी. : "आदिवासी विश्व" श्री. साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, (२०१५)
- ४) प्रा. सरकुंडे माधव : "आदिवासी अस्मितेचा शोध" देवयानी प्रकाशन, यवतमाळ, (२०११)
- ५) डॉ. सौ. देवगांवकर शैलजा, डॉ. देवगांवकर एस. जी. : "आदिवासी विश्व" श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, (२०१५)
- ६) डॉ. आगलावे प्रदीप : "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर, (२०१२)

